


प्रस्तुति 2 (नियम 11 (4) देखिए)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (JABALPUR), मध्यप्रदेश

दूरभाषः-

फैक्सः:

ई-मेलः

क्रमांकः/39250478/स्कूल आई.डी. - 12180
प्राप्ति,

दिनांकः- 08/05/2017

प्रदेशक,

(DELHI PUBLIC SCHOOL)

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोगन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन स्कूल मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र दिनांक 01/01/1900 तथा इस संबंध में स्कूल से पञ्चात्वर्ती पत्र व्यवहार/ निरीक्षण के संदर्भ में, मैं आपकी स्कूल - DELHI PUBLIC SCHOOL, Pipariya Kala
Near T.F.R.I.
Mandla Road
JABALPUR की कक्ष Nursery से कक्ष 8th तक के लिए दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2021 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त त्वीकृति मिन्नलिखित शब्दों की पूर्ति के अध्यधीन होगी:-

- मान्यता विस्तारित नहीं होगी तथा कक्ष 8 से आगे की मान्यताप्रदानदाता को कोई घटना किसी भी रूप में विवरित नहीं होगी।
- स्कूल निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार आधिनियम, 2009 (उपायेभ 1) तथा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपायेभ 2) के उपबंधी का यातन करेगा।
- स्कूल अपने पड़ोस को तीनों के बच्चों तन्हा तथा कमज़ोर बच्चों के बालकों को कक्ष 1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस द्वाया में, स्कूल यदि सहायता प्राप्त स्कूल है तो इसने प्रवेशित बालकों को उस अनुपात में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसके वायिक आवलीं द्वयम प्राप्त करने होते हैं। इस प्रकार वायिक आवलीं सहायता या अनुदान प्राप्त होता है किंतु यह न्यूनतम पठ्यालीस प्रतिशत के अधीन होगा बशहै कि जहाँ स्कूल पर्वे स्कूल (प्रि स्कूल) शिक्षा दी जाती है वहाँ अधिनियम की धारा 12 की उपचारा (1) के खण्ड (क) से (ग) के उपबंध स्कूल ने प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यवहार की प्रतिपूर्ति के जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्कूल का पृथक् रैंकिंग दिया जाएगा।
- सोसाइटी/स्कूल कोई भी कौपिंगशन फीस का संयह नहीं करेगा तथा बालक या उसके पालक या अधिभावक के साथ किसी ऊनवीन प्रक्रिया को नहीं अपनाएगा।
- स्कूल किसी भी बालक को प्रवेश देने से छुकाने नहीं करेगा-
 - (क) अन्य के सबूत के अधार में;
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए विहित की गई विस्तारित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश चाहा गया है;
 - (ग) धन, जाति या नूलवंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी अधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्ष ने रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा;
 - किसी बालक को पारिक्रमा या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई और परिषेक उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी;
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा;
 - अधिनियम के उपबंधी के अनुसार विशेषज्ञ आवश्यकता बाले बालकों को समाहित किया जाएगा;
 - अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम मान्यता अनुसार बालकों की भर्ती की जाएगी; बशहै कि बर्तनाल में कामरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अहत नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से 5 दिन की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अहत प्राप्त करना होगी;
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनियोग कर्तव्यों का पालन करना होगा;
 - प्रायवेट ट्रीचिंग की गतिविधियों ने शिक्षक न्वयन आग नहीं ले गोलेगी।
 - स्कूल समुचित प्रार्थकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्ची का अनुसरण करेगा।
 - अधिनियम की धारा 19 में विहित किए अनुसार स्कूल ने उपलब्ध सुविधा के अनुपात ने स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।



- स्कूल द्वारा अधिनियम की धारा 19 में विनिश्चित स्कूल के नामक एवं नामदण्ड बनाए रखे जाएंगे। अंतिन निरोक्षण के समय स्कूल में उपलब्ध त्रुविधाएं जिन्नानामुसार पाई जाएँगी।

सुविधाएं

पोर्टल से दर्जे

वास्तविक स्थिति

8	स्कूल के भवन की स्थिति	स्वयं का भवन	स्वयं का भवन
9	स्कूल का कुल लैंडफल (वर्ग फीट में)	492233	492228
10	स्कूल का निश्चित लैंडफल (वर्ग फीट में)	148981	47469
11	खेल नीदान का लैंडफल (वर्ग फीट में)	131255	131263

3. अध्योसंरचना का विवरण

	कक्ष	Rooms as per RTE	पोर्टल से दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	कक्ष जाठवी तक उपयोग ने आ रहे कक्ष कक्ष	37	504	37
2	कार्यालय कक्ष-सह-भण्डार कक्ष-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष	3	1212	3
3	श्रीजनालय-सह-भण्डार	1	24	1

अन्य सुविधाएं

		पोर्टल से दर्जे	वास्तविक स्थिति
1	क्या सभी सुविधाओं तक पहुंच बाधा रहत है हाँ/नहीं	हाँ	हाँ
2	पठन पाठन सामग्री (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
3	खेलकूट एवं खेल उपकरण (हस्तालित सूची अपलोड करें)	हाँ	हाँ
4	पुस्तकों की संख्या	6500	6500
5	पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	28	28
6	पंचजल सुविधा का प्रकार	Tube Well	Tube Well
7	पंचजल सुविधा की संख्या	5	5
8	शौचालय का प्रकार (आरटीए/पाइपलाइन/नहीं)	Both Indian & Western	Both Indian & Western
9	लड़कों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	44	36
10	लड़कियों के लिए पृथक शौचालयों की संख्या	40	34
11	विकलांग बच्चों के लिए उपयुक्त शौचालयों की संख्या	1	1
12	क्या अन्य सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध है ? हाँ/नहीं	हाँ	हाँ

- लेख संपरीक्षित किए जाएंगे तथा चार्ट एकाउन्टेट द्वारा सहमतीत होगे और जचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार होगा। प्रत्येक लेखाओं के विवरणों की एक प्रति प्रतिवर्ष लिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- आपकी स्कूल का सान्यता कोड नम्बर 39250478, एवं डाइसकोड (DISE) 23390127606 है। इस कार्यालय के साथ पश्चात ने यह कोड नम्बर संदर्भित किए जाएं।
- ऐसी रिपोर्ट और जानकारी स्कूल द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, जो गठन शिक्षा केन्द्रलिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सान्यता सम्बन्ध में अधिकारी नाम्यता की शर्ती की निरन्तर पूर्ण त्रुटी निर्दिष्ट करने हेतु जारी किए जाएं।
- शोसामटीएन्यास, यदि कोई हो, के पंजीयन का नवीकरण किया जाएगा।
- अन्य शर्तें संलग्न उपाधं तीन के अनुसार होंगी।
- अधिनियम एवं नियम के उपर्योग और सान्यता की शर्ती का उल्लंघन पाए जाने तथा सिद्ध हो जाने पर सान्यता वापस ले ली जाएगी।

भवदीप,
लिला शिक्षा अधिकारी
जिला JABALPUR मध्यप्रदेश

